दिनांक 5 अगस्त 2016 को **'Innovative Practices for care of elderly women in India'** के विमोचन के अवसर पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

1. मुझे 'Innovative Practices for care of elderly women in India' के विमोचन के अवसर पर आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट भारत में बुजुर्ग महिलाओं के जीवन को सहज एवं स्वस्थ बनाने हेतु सरकार एवं समाज द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण देती है। वृद्धावस्था सबको आती है। उम्र ईश्वर की देन है। कहा गया है कि "Old age is a privilege denied to many."

2. यह रिपोर्ट अत्यन्त ही प्रासंगिक एवं सामयिक विषय पर लिखी गई है। इस रिपोर्ट में बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य, जीवन–यापन के लिये उनके आय एवं सुरक्षा के संबंध में हो रहे प्रयासों का बहुत अच्छा विवरण है। दिसम्बर 2013 से 2015 तक शोध करने के बाद यह रिपोर्ट लिखी गई है। मैं Stree Shakti: The Parallel Force को इस उत्कृष्ट प्रयास के लिए बधाई देती हूं।

3. विश्व की बढ़ती आबादी में, बुजुर्गो की आबादी भी बढ़ रही है, जो नीति–निर्माताओं एवं समाज, दोनों के लिये चिन्तन का विषय है। आज विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में विकास से मनुष्य की औसत आयु बढ़ गई है और अनुमान है कि सन् 2050 तक विश्व की 21.1 प्रतिशत आबादी 60 साल से ऊपर के उम्र की होगी। आज सम्पूर्ण विश्व महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने को उन्मुख है। एसडीजी में भी इस पर कार्य चल रहा है। बुजुर्ग

महिलाओं पर विशेष ध्यान रखने के उद्देश्य से सभी राष्ट्र अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं।

4. भारत में भी 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के लगभग 10 करोड़ बुजुर्ग हैं जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत हैं। लगभग 71 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 1000 वृद्ध पुरुषों की तुलना में 1033 वृद्ध महिलाएं हैं। 59% वृद्ध महिलायें विधवा हैं। उनमें से अधिकांश का बैंक में खाता नहीं है और उनकी आय का स्तर भी बहुत कम है। अधिकांश वृद्ध महिलाओं को उनके घरवाले बेसहारा छोड़ देते हैं और वे अकेले रहती हैं। वृद्ध पुरुषों (2%) की तुलना में अकेली रह रही वृद्ध महिलाओं की संख्या बहुत अधिक (9.6%) है।

5. अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में एकाकीपन, गरीबी और लाचारी झेल रही वृद्ध महिलायें एक प्रगति के पथ पर अग्रसर देश के लिये कोई अच्छा संकेत नहीं हैं, न तो सांस्कृतिक रूप से और न ही आर्थिक व सामाजिक रूप से। बड़े–बड़े महानगरों में अकेलेपन की जिन्दगी जी रहे बुजुर्गों के साथ मारपीट एवं लूटपाट की घटनाएं अत्यन्त आम हो चली हैं। हालांकि, हमेशा से यह प्रयत्न किया जाता रहा है कि उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

6. Global Report on Age in 21st century के हिसाब से वृद्ध महिलायें कई कठिनाइयों में रहती है, बहुत भेदभाव झेलती हैं। सेहत में गिरावट, संपति से बेदखली और जीवन–यापन हेतु आमदनी न होने से उनके लिये स्थितियां और भी विषम हो जाती हैं। उम्र

के इस पड़ाव पर जब उन्हें सबसे अधिक स्नेह और सुविधाओं की आवश्यकता होती है तब देखने में आता है कि उनका जीवन इनसे महरूम हो जाता है।

7. एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से 6 परिवारों में बच्चे मां–बाप को घर से बेदखल कर देते हैं। वे या तो वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं या फिर बेघर होने को। गाँवों में रह रहे गरीबों में बेसहारा महिलाओं की बढ़ती संख्या और वृद्ध (अविवाहित अथवा विधवा) महिलाओं की एक बड़ी संख्या अकेलेपन के साथ–साथ शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रही हैं। लंबे अरसे से चले आ रहे सांस्कृतिक और सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण जीवन भर महिला होने के कारण भेदभाव का सामना करने के बाद इनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं।

8. आज के बदलते सामाजिक परिवेश में जहां चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र, सबकी यह सम्मिलित जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने आस–पास के बुजुर्गों का ख्याल रखें एवं उन्हें सुरक्षित माहौल दें। मैं यह नहीं कह रही कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं हो रहा है बल्कि आंशिक रूप से हो रहा है। पर, अब सभी हितधारकों द्वारा इस जिम्मेदारी को सम्यक् रूप से निभाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में अच्छा काम किया है। सरकार द्वारा पारित "Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act, 2007" के enactment से बुजुर्गो के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के तहत उन्हें सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कई सुरक्षोपाय किए गए हैं। उनकी

देखरेख का दायित्व उनकी सन्तानों पर है। सन्तान न होने की अवस्था में उनके निकटतम रिश्तेदारों पर को भी यह दायित्व दिया गया है। यह अधिनियम वास्तव में ऐतिहासिक है।

9. वर्ष 2016 में हमें MIPAA (Madrid intenational plan of Action on Aging) को भारत में 14 वर्ष हो गये हैं और MIPAA पहला Global Agreement है, जो बुजुर्ग लोगों की विशेष जरूरतों के मद्देनजर अस्तित्व में आया। सभी सरकारों को MIPAA के तहत अपनी हर नीति में बुजुर्ग लोगों के अर्थव्यवस्था और विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें सम्माननीय जीवन देने की जिम्मेदारी है।

10. इसी दिशा में कई गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह भी उनके बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा वृंदावन, वाराणसी एवं दिओला, उत्तराखंड में इनकी देखभाल एवं उत्थान के कार्य चल रहे हैं। साथ ही, ''एकल नारी शक्ति संगठन'' राजस्थान में 1999 से परिवार से बहिष्कृत महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। इस संस्था में अभी 43006 सदस्य हैं और वे सब मिलजुल कर अपने–आप ही अपनी समस्याओं को सुलझाते हुए सम्मानित रूप से अर्थोपार्जन एवं जीवनयापन कर रही हैं।

11. इसी प्रकार, International Longevity Centre India ILC-1 पुणे में वर्ष 2003 से काम कर रही है। यह अपनी **''आजी बाई साथी बटवा योजना''** और **वालंटियर ब्यूरो** के माध्यम से बुजुर्ग महिलाओं की सेहत की देखभाल का काम बहुत पेशेवर तरीके कर रही हैं। उसी तर्ज पर, कलकता Metropoliton Institute for Gerontology 1988 से स्लम एरिया में कई कार्यक्रम जैसे केयर रोजगार योजना आदि चला रहा है। बंगलौर का

Nightingale Medical Trust भी Alzhemier disease और dementia पर काम कर रहा है, साथ में एक Telemedicine Centre चला रहा है और Centre for Aging-Alzhemier में बुजुर्ग महिलाओं के रहने का प्रबन्ध भी है। **SEWA BANK, Gujarat** भी एक Micro Finance स्कीम चला कर बुजुर्ग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वावलम्बी बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। इसमें 3,50,000 महिला सदस्य हैं।

12. Geriatrics अब चिकित्सा का नया क्षेत्र है। अब लगभग सभी अस्पतालों में इसकी Pediatrics की तरह Geriatrics की शाखाएं खुलने लगी हैं। बुजुर्गों की विशेष स्वास्थ्य समस्याओं पर अध्ययन व शोध कर उनका इलाज बेहतरीन तरीके से हो यह प्रयास Geriatrics में होते हैं। यह वृद्धों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन, यह अभी तक समृद्ध वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित है। इसकी पहुंच सभी वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।

13. आज बुजुर्ग महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनके लिए अधिक सम्मानजनक, अधिक सुविधाजनक और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सभी संबंधित भागीदारों को इस दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है। बुढ़ापे के प्रति आम जनता के नजरिए को बदलना चाहिए। युवा पीढ़ी को बुजुर्ग महिलाओं के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए। युवा महिलाओं का सशक्तीकरण किया जाना चाहिए ताकि वे वृद्धावस्था में विषम परिस्थितियों का सामना मजबूती से कर सकें।

14. अन्त में, मैं अपने अनुभव से Mark Twain का कथन आपके समक्ष उद्धृत करना चाहती हूं कि मन से अपने में बुढ़ापा ना आने दे। **"Age is a matter of mind; if you don't mind, it does not matter."** हर उम्र का अपना आनन्द है उसे समझे और अपना जीवन सार्थक करे। हम सब यह प्रयास करें कि देश में कोई भी बुजुर्ग महिला अपने आप को समाज में असहाय न समझे।

———